# न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 91 /अ-20(3)/2023-24

## आदेश

( दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को पारित )

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम घानीखेडी तहसील आगर स्थित की कुल किता 5 कुल भूमि **43** हेक्टेयर भूमि में से **30.01** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है । ग्राम घानीखेडी की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

| क्रमांक | सर्वे क्रमांक | रकबा (हेक्टेयर में ) | आवेदित रकबा (हेक्टेयर में ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 0.340 | 0.22 |
| 2 | 84 | 3.000 | 1.53 |
| 3 | 117 | 24.320 | 13.34 |
| 4 | 79 | 3.560 | 3.48 |
| 5 | 156/1 | 11.780 | 11.44 |
| | **कुल किता 5** | **43** हेक्टेयर | **30.01** हेक्टेयर |

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि दो समाचार (दैनिक भास्कर नईदुनिया) पत्रो में विज्ञप्ति का प्रकाशित की गई है जावक पंजी क्रमांक **128-134** कानड दिनांक **15. 02.2024** से कार्यालय अधीक्षण यंत्री संचा/संधा) म०प्र०प०क्ष०वि०वि० कं० लिमि० वृत्त आगर ,कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० (भ/प) संभाग आगर मालवा ,कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन तथा ग्राम पंचायत घानीखेडी को पत्र को अभिमत हेतु लिखा गया । कार्यापालन यंत्री (कार्यालय ) अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि वृत्त आगर द्वारा पत्र दिनांक 23/**02/2024** से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 23/02/2024 , नगर परिषद कानड के पत्र दिनांक 30.04.2024 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की ओर से निर्धारित समयावधि में अभिमत अप्राप्त है। इस कारण मध्यप्रदेश नजुल निर्वतन निर्देश **2020** के अनुसार उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत की आपत्ति अनुसार ग्राम के पास तथा ग्राम कृपालपुर के पास मवेशी को चराने हेतु उक्त भूमियों के अलावा अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है। साथ ही भविष्य में होने वाले विकास कार्य के लिए भी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, ग्राम घानीखेडी मे गोशाला निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित है। अतः ग्राम घानीखेडी में भूमि आवंटित नही की जावे।प्रकरण में पटवारी ग्राम घानीखेडी तहसील आगर जिला आगर मालवा के द्वारा (प्रारूप **-5)** में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम घानीखेड़ी में भूमि सर्वे क्रमांक **80** रकबा **0.34** हे. में से रकबा **0.22, 84** रकबा **3.00** में से रकबा **1.53, 117** रकबा **24. 32**हे. में से रकबा **13.34, 79** रकबा **3.560** हे. में से रकबा **3.48** हे., **156/1** रकबा **11.78**हे. में से रकबा **11.44,** कुल किता **05** कुल रकबा **43.00** हे. में से **30.01** का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वर्तमान रिकार्ड अनुसार ग्राम घानीखेडी का भौगोलिक रकबा **446.68** है. है व ग्राम का खाते का रकबा **231.9** हे. व ग्राम का गैर खाता का रकबा **214.76** हे. है। ग्राम घानीखेडी में खाते

की भूमि का **2** प्रतिशत रकबा **4.63** हे. होता है जो कि उक्त आवंटन के पश्चात् सुरक्षित रहेगा। ग्राम मे उक्त आवंटन के पश्चात् चरनोई का कुल रकबा **32.96** हे. सुरक्षित रहेगा। प्रिमियम राशि का गणना पत्रक सलग्न किये गये है।कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष **2024-25** के अनुसार ग्राम घानीखेडी की सिचित भूमि **14,48,800 /-** चौदह लाख अडतालीस हजार आठ सौ रूपये प्रति हे. के मान से है। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे क्रमांक **80** में से रकबा **0.22** हे०, सर्वे क्रमांक **84** में से रकबा **1.53** हे० सर्वे क्रमांक **117** में से रकबा **13. 34** हे०, सर्वे क्रमांक **79** में से रकबा **3.48** हे . सर्वे क्रमांक **156/1** में से रकबा **11.44** हे० कुल किता **5** कुल प्रस्तावित रकबा **30.01** हे० भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-**6-101/2019**/सात-**3** के पैरा क्रमांक **05** के अनुसार बाजार मूल्य के **1.6** गुणा सिचिंत कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण **6,95,65,580/-** (छः करोड पचानवे लाख पैसठ हजार पाँच सौ अस्सी रूपये) होता है।प्रकरण में ग्राम पंचायत के द्वारा आवंटन के संबध में आपत्ति पेश की गई है। उक्त आपत्ति के परिपेक्ष में **32.96** हे. भूमि ग्राम वासियो के लिए विभिन्न प्रयोजन हेतु छोडी गई है। किंतु ग्राम वासी संतुष्ट नहीं है। ग्राम वासियों / ग्राम पंचायत की आपत्ति आधार हिन होने से खारिज किया जाना उचित है। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी ग्राम घानीखेडी तहसील आगर की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम घानीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक **80** रकबा **0.34** हे. में से रकबा **0.22, 84** रकबा **3.00** में से रकबा **1.53, 117** रकबा **24.32**हे. में से रकबा **13.34, 79** रकबा **3.56** हे. में से रकबा **3.48** हे., **156/1** रकबा **11.78** हे. में से रकबा **11.44,** कुल किता **05** कुल रकबा **43.00** हे. में से **30.01** हेक्टेयर भूमि वन विभाग को उचित प्रतिवेदित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किया गया । उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । जिसमें ग्राम घानीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक **80** रकबा **0.34** हे. में से रकबा **0.22, 84** रकबा **3.00** में से रकबा **1.53, 117** रकबा **24.32**हे. में से रकबा **13.34, 79** रकबा **3.56** हे. में से रकबा **3.48** हे., **156/1** रकबा **11.78** हे. में से रकबा **11.44,** कुल किता **05** कुल रकबा **43.00** हे. में से **30.01** हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

4/ ग्राम पंचायत घानीखेडी तहसील आगर द्वारा पत्र दिनांक 28.02.2024 को आपत्ति सहित ठहराव प्रस्ताव अनुमोदन किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति के संबंध में नायब तहसीलदार कानड द्वारा आपत्ति के परिपेक्ष में कुल 32.96 हेक्टेयर भूमि ग्राम वासियों के लिए विभिन्न प्रयोजन हेतु छोडी गयी है अत: उनके द्वारा ली गयी आपत्ति में निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम घानीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक **80** रकबा **0.34** हे. में से रकबा **0.22, 84** रकबा **3.00** में से रकबा **1.53 , 117** रकबा **24.32** हे. में से रकबा **13.34, 79** रकबा **3.56** हे. में से रकबा **3.48** हे., **156/1** रकबा **11.78** हे. में से रकबा **11.44,** कुल किता **05** कुल रकबा **43.00** हे. में से **30.01** हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020

के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम घानीखेडी तहसील आगर स्थित कुल किता 5 कुल रकबा **43.00** हे. मेसे **30.01** हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण **6,95,65,580/-** (छः करोड पचानवे लाख पैसठ हजार पाँच सौ अस्सी रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।
5. अगर आवेदित भूमि पर किसी भी प्रकार की विद्युत संरचना स्थापित है तो उसके संबंध में विद्युत विभाग से अभिमत प्रापत किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ नायब तहसीलदार कानड , की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें। 28/10/24

**( राघवेन्द्र सिंह )**
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/382
आगर मालवा, दिनांक 28/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड , की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें। 28/10/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

| ग्राम:घानीखेडी | | | पटवारी हल्का:घानीखेड़ी | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1610830012<br>81JE3KD942J9H0 | 79/1<br>(S) | | 3.4800<br>हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

| ग्राम:घानीखेडी | | | पटवारी हल्का:घानीखेड़ी | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्षः 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1610829922<br>81JCM8D943P2H0 | 80/1<br>(S) | | 0.2200<br>हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:घानीखेडी | | | पटवारी हल्का:घानीखेड़ी | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1610829909<br>81JBMYD941T2H0 | 84/1<br>(S) | | 1.5300<br>हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

specimen copy

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:घानीखेडी | | | पटवारी हल्का:घानीखेड़ी | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1610829966<br>81J8Q1D944UBH0 | 117/1<br>(S) | | 13.3400<br>हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

**खसरा**

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:घानीखेडी | | | पटवारी हल्का:घानीखेड़ी | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1610829944<br>81JCLGD945Q2H0 | 156/1/1<br>(S) | | 11.4400<br>हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट